

सरयू राय

सदस्य
झारखण्ड विधान सभा
सभापति
प्रत्यायुक्त विधान समिति



आवास :

● एफ. टाईप, आवास सं०-1, ए.जी. मोड़,
डोरण्डा, राँची - 834002
मोबाईल नं.: 9431114466
ई-मेल : saryuroyoffice@gmail.com
वेबसाइट : www.saryuroy.in

पत्रांक : 658/352/25

दिनांक : 23/10/2025

उपायुक्त

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषय :- 0.45 बोर की अवैध (प्रतिबंधित) ग्लॉक पिस्टल रखने, बेचने एवं इसका लाइसेंस जारी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में.

महाशय,

आज जमशेदपुर से प्रकाशित एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में "पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की 18 लाख की प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल जब्त" शीर्षक से प्रकाशित समाचार का कृपया संज्ञान लेंगे. यह समाचार स्वतः स्पष्ट है. विलंब से ही सही जिला प्रशासन की यह पहल सराहनीय है एवं विधि सम्मत है, पर पर्याप्त नहीं है.

आप अवगत हैं कि प्रतिबंधित आग्नेयास्त्र रखना कानूनन जुर्म है, दंडनीय अपराध है. इसे बेचना और इसका लाइसेंस जारी करना भी दंडनीय अपराध है. इंडियन आर्म्स एक्ट-1959 की धारा-25 में इसके लिए दंड का प्रावधान विहित है. सुलभ संदर्भ हेतु इंडियन आर्म्स एक्ट- 1959 की धारा-25 का प्रासंगिक प्रावधान नीचे उद्धृत कर रहा हूँ. "Section 25 of the Indian Arms Act, 1959, deals with the punishment for various offenses related to firearms and ammunition, such as illegally acquiring, possessing, or carrying them, as well as selling or transporting them against the law. Penalties vary depending on the specific offense, but can include imprisonment ranging from a minimum of five years to a potential life sentence, along with fines."

एतदनुसार दंडात्मक प्रावधान निम्नवत है:-

Penalties under Section 25 of Indian Arms Act 29

Acquiring, possessing, or carrying prohibited arms: - -Imprisonment for a term not less than five years, but which may extend to ten years, and a fine. (Proposed amendments increase this to not less than seven years and possibly up to 14 years).

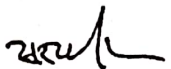


उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रतिबंधित आग्नेयास्त्र धारक को कम से कम 5 वर्ष की कैद की सजा होगी जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक यह सजा 7 वर्ष से कम की नहीं होगी और इसे 24 वर्ष तक बढ़ाया जा सकते हैं.

मैंने दिनांक 28.04.2023 को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को इस बारे में पत्र लिखा था और उनसे अवैध आग्नेयास्त्र धारक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके पूर्व झारखंड के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, बंगाल के अपर मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिरीक्षक, गृह मंत्रालय के अपर सचिव आदि को पत्र लिखा था और बताया था कि जमशेदपुर के कदमा निवासी तत्कालीन मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्तौल रखा है जो कानूनन जुर्म है और दंडनीय अपराध है. उस समय जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, उल्टे उन्हें प्रतिबंधित पिस्तौल का लाइसेंस जारी कर दिया.

अब जबकि यह प्रतिबंधित पिस्तौल जब्त कर ली गई है तब यह ज़रूरी हो गया है कि आर्म्स एक्ट के अधीन इसके अवैध धारक पर, इसे उन्हें बेचने वाले पर, इसका अवैध लाइसेंस उन्हें जारी करने वाले पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय. आप सहमत होंगे कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, कोई अपराधी इसलिए कानूनी कार्रवाई से मुक्त नहीं किया जा सकता कि वह सरकार में मंत्री पद पर है. प्रशासन को समझना चाहिए कि गम्भीर अपराध की सजा निर्धारित करने में पद और क़द आड़े नहीं आता. मुझे उम्मीद है कि आर्म्स एक्ट का उल्लंघन कर अवैध आग्नेयास्त्र -ग्लॉक पिस्तौल- रखने वाले, बेचने वाले और लाइसेंस देने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर कर्तव्य परायणता का परिचय देंगे.

सधन्यवाद,

भवदीय

सरयू राय